(१५४)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–गुना

निग- 2494-PBR-13

बाबू खॉ पुत्र श्री यासीन खॉ मुसलमान,
निवासी– ग्राम बेरखेड़ी (रूठियाई),
तहसील राघौगढ़, जिला -- गुना (म.प्र.)
––आवेदक

दिनांक 17-2-13 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभि० द्वारा प्रस्तुत।
17-2-13
ASO

विरूद्ध

1. राजेश कुमार पुत्र श्री गुलाब चन्द्र,
2. राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री पुतई सिंह,
3. भूषण सिंह पुत्र श्री पुतई सिंह,
4. बख्तावर सिंह पुत्र श्री लालसिंह,

निवासीगण– ग्राम बेरखेड़ी (रूठियाई)
तहसील राघौगढ़, जिला -- गुना (म.प्र.

5. मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर
जिला–गुना (म.प्र.)

––– अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार, राघौगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ--12 /2013–14 में पारित आदेश एवं कार्यवाही के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

8
17/12/13

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, भूमि खसरा नं. 48/1 रकबा 2.228 हैक्टेयर जोकि ग्राम बेरखेड़ी तहसील राघौगढ़ में स्थित है, के सीमांकन किये जाने बावत् अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था।
2. यहकि, ग्राम बेरखेड़ी, में आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 42 रकबा 1.390 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि अनावेदक कमांक 1 के समीप ही स्थित है, ऐसी स्थिति में आवेदक समीवर्ती कृषक होने से उसे सीमांकन कार्यवाही किये जाने से पूर्व समक्ष में सुनवाई किये जाने एवं समक्ष में कार्यवाही किये जाने का सूचनापत्र जारी किया जाना चाहिये था। इस प्रकरण में आवेदक को किसी भी प्रकार से सुनवाई का व्यक्तिगत सूचनापत्र प्राप्त नहीं हुआ और उसकी अनुपस्थिति में ही सीमांकन कार्यवाही सम्पादित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी -4494-पीबीआर/2013 जिला-गुना

बाबू खॉ विरूद्ध राजेश कुमार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-06-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक कोई उपस्थित नहीं। 3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार राघौगढ़ जिला-गुना के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27-11-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़, जिला-गुना को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 13-08-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर0के0 जैन) सदस्य 28/6/19	